

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन



बी.एम.बिडला शोध संस्थान परिसर,
देवास रोड,
उज्जैन (म.प्र.) - 456010
दूरभाष-(0734) 2524845 (कार्या.)
फेक्स - (0734) 2524845
E-mail-regpsvvp@rediffmail.com
Website- www.mpsvujain.org

क्र./पासंवि/कृ.स./एम-16/ 1154

उज्जैन, दिनांक : 29 / 12 / 2016

// अधिसूचना //

यह अधिसूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय की एम.फिल्. उपाधि से संबंधित अध्यादेश क्र. 16 के चरण 05 तथा पीएच.डी./विद्यावारिधि उपाधि से संबंधित अध्यादेश क्र. 09 के चरण 05 के प्रावधान के अनुसार एम.फिल्./पीएच.डी./विद्यावारिधि उपाधि के लिए प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी एम.फिल् के विषय शुक्लयजुर्वेद/नव्यव्याकरण/साहित्य/ज्योतिष/ज्योतिर्विज्ञान तथा पीएच.डी./विद्यावारिधि के विषय शुक्लयजुर्वेद (05 स्थान), नव्यव्याकरण (05 स्थान) की प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेब साईट [Website- www.mpsvujain.org](http://www.mpsvujain.org) से डाउनलोड कर प्राप्त करें। दिनांक 31 जनवरी 2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन पत्र शुल्क रु. 100/- तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 500/- निर्धारित है। अतः कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के नाम से उज्जैन में देय डिमांड ड्राफ्ट रु. 600/- आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जावेगी।



कुलसचिव

क्र./पासंवि/कृ.स./एम-16/ 1155

उज्जैन, दिनांक 29 / 12 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय।
2. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
3. गोपनीय/परीक्षा विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. कुलपति के निज सहायक, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्पादक/ प्रतिनिधि महोदय, दैनिक समाचार पत्रकी ओर इस अनुरोध अग्रेषित है कि अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

Ph.D./Vidhya Varidhi Admission Chart

Intake	M.P.								NON M.P.
	Open		ST		SC		OBC(Excludind Creamy layer)		
	F	Open	F	Open	F	Open	F	Open	
5	1	1	-	1	-	1	-	-	1
5	1	1	-	1	-	1	-	-	1

-3% Reservation for Physically Disabled Students from their respective category if intake exceeds 17.